न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर

राजस्व वाद स0:– 84/2014

1. मिठू बालिग पुत्र लालूजी अब मृतक बजाय उसके वारिसान व कानूनी प्रतिनिधि बमुजब आदेश न्यायालय दिंनाक 15.09.2016
   1/1 श्री मति चान्दु उर्फ चान्दी बेवा श्री मिठू
   1/2 श्री मति गीता बालिग पुत्री मिठू
   1/3 श्री मति शान्ति बालिग पुत्री मिठू
   1/4 श्री मति ललिता बालिग पुत्री मिठू
   1/5 श्री कैलाश बालिग पुत्र मिठू
   1/6 श्री मति गीता बेवा प्रभू पुत्र मिठू
   1/7 श्री देशराज वल्द प्रभू पुत्र मिठू
   1/8 श्री रामराज वल्द प्रभू पुत्र मिठू
   समस्त जाति खाती निवासीयान गांव नन्दवाडा तहसील मसूदा।
2. हगामीलाल बालिग पुत्र लालू जी
3. शम्भूलाल बालिग पुत्र लालू जी अब मृतक बजाय उसके वारिसान व कानूनी प्रतिनिधी बमुजब आदेश न्यायालय दिनांक 15.09.2016:–
   3/1 श्रीमति सायरीदेवी बेवा शम्भुखाती
   3/2 श्री परमेश्वर पुत्र शम्भु खाती
   निवासीयान गांव नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर
   3/3 श्रीमति कंचन पुत्री शम्भु खाती पत्नी रघुवीर जी खाती निवासी
   धोला भाटा अजमेर जिला अजमेर
4. सम्पतलाल बालिग पुत्र लालूजी
   समस्त जाति जांगीड खाती निवासी नन्दवाडा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
5. झमरी बेवा भांगुलालजी।
6. मनोज बालिग पुत्र भागुलालजी।
7. सुरेश बालिग पुत्र भागुलालजी
8. हेमराज बालिग पुत्र भागुलालजी।
   वादी सख्या 5 से 8 जाति जांगीड खाती खाती निवासी नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
9. ओमप्रकाश नाबालिग पुत्र भागुलालजी।
10. पूजा नाबालिग पुत्री भागूलालजी।
11. दीपक नाबालिग पुत्र भागुलालजी।
    वादी सख्या 9 से 11 नाबलिगान जरिये उनकी कुदरती माता वादी संख्या 5 श्री मति झमरी बेवा भागूलालजी जाति जांगीड खाती निवासी नन्दवाडा तहसील मसूदा वादी संख्या 5 से 11 बहैसियत स्वय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 भागुलालजी वल्द लालूजी जाति जांगीड खाती निवासी नन्दवाडा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

—— वादीगण

बनाम

1. गज्जा बालिग पुत्र तेजाजी
2. लादू बालिग पुत्र तेजाजी

3. मगना बालिग पुत्र तेजाजी
4. उगमा बालिग पुत्र तेजाजी
5. नैना बालिग पुत्र तेजाजी
6. हरलाल बालिग पुत्र तेजाजी
   जाति कुमावत निवासीयान नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्रीमति नन्दू बेवा तेजाजी जाति कुमावत निवासी गांव नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
7. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।
8. राज0 सरकार जरिये भु–धारक तहसीलदार मसूदा।
9. राज0 सरकार जरिये उप पजींयक मसूदा।

––प्रतिवादीगण

वाद वास्ते, घोषणा हक खातेदारी,स्थाई निषेधाज्ञा व रेकार्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

1. श्री पंकज गादिया
   एडवोकेट वादीगण
2. श्री सलीम
   एडवोकेट प्रति 1,2,3
3. श्री पुखराज
   एडवोकेट प्रति 4,5,6
   उपस्थित

निर्णय

दिंनाकः– 12.11.2016

इस वाद मे वादीगण ने साराशंत निवेदन किया है कि मौजा नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी ख0 न0 834 रक्बा 2–10–00 हाज न0 1047 रक्बा 2–10–00 बीघा भूमि मे प्रतिवादी स0 1 से 6 तथा उनकी माता श्री मति नंदू बेवा तेजा जाति कुमावत निवासी नंदवाडा खातेदार काश्तकार थें। उन्होने वादी स0 1 से 4 व वादी स0 5 से 11 के पूर्वज भागूलाल वल्द लालू जी को बहुमूल्य प्रतिफल लेकर दिनांक 12.08.1983 को बेचान कर सबकी जानकारी मे कब्जा भूमि मौके पर संभला दिया था।तब से अपने जीवनकाल तक स्व0 भागूजी तथा उनके बाद से वादीगण बेरोक–टोक खुलम खुल्ला सबकी जानकारी मे विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 भागूलाल ने बेचाननामे की प्रति राजस्व कर्मियो को दी और यह समझाते रहे कि विवादित आराजी उनके नाम लगा दी गई है। वादीगण भी यही समझते रहे। लेकिन राजस्व अभिलेख मे नही लगी और वर्तमान मे बटवारे से प्रतिवादी स0 2 के नाम लगी है इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी स0 1 से 6 ने दिनांक 02.11.2014 को दीगर व्यक्तियो को बेचने की धमकी देने के कारण वाद करना पडा है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक़ वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री कर घोषित किया जावे कि प्रतिवादी स0 1 से 6 व उनकी माता श्रीमति नंदू ने विवादित आराजी मे अपने खातेदारी अधिकार बजरिये पंजीकृत बेचान नामा दिनांक 12.08. 1983 वादी स0 1 से 4 व 5 से 11 के पूर्वज भागूलाल वल्द लालू को बेचान कर कब्जा संभला दिया थ इसलिए प्रतिवादी स0 1 से 6 के विवादित आराजी मे कोई हक व स्वत्व नही है। वादीगण ही विवादित आराजी मे खातेदार है तथा प्रतिवादी स0 1 से 6 व या प्रतिवादी स0 2 के स्थान पर अपना नाम लगवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी आदि से मुमानियत की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वाद के जवाब दावे मे लंबित चलते दिनांक 26.02.2015 को वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 से 3 ने असालतन वकालतन उपस्थित आये और आपसी समझाईश से राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकरान की पहचान उनके अभिभावको ने की। राजीनामा बाद तस्दीक के अभिलेख पर लिया गया। बहस अभिभावकगण सुनी गई। वादीगण के वकील के तर्क रहे कि वर्तमान मे विवादित आराजी प्रतिवादी स0 2 की खातेदारी मे है और उसने वाद डिक्री हेतु राजीनामा कर किया है इसलिए वाद स्वतः ही वादीगण के पक्ष मे तय हो चुका हैं अतः मेरे पक्ष मे डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण अन्य प्रतिवादीगण के अभिभावक के कथन रहे कि प्रतिवादी स0 2 जो विवादित आराजी मे खातेदार है उसे कोई एतराज नही तो हमे क्योकर ऐतराज होगा।

मैने बहस के परिपेक्ष मे पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 से 3 ने राजीनामा कर लिया है। ग्राम नन्दवाडा की जमाबंदी स0 2067 से 2070 के खाता स0 513 मे ख0न0 1047 रक्बा 2–10–00 बीघा प्रतिवादी स0 2 लादू रावत तेजा की तन्हा खातेदारी मे दर्ज है और उसने वादीगण के नाम लगााने के लिए जरिये राजीनामा सहमति दे दी है। तो वाद स्वतः ही वादीगण के पक्ष मे स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा

वाद बजरिये राजीनामा लोक अदालत की रूह से बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम नन्दवाडा स्थित विवादित आराजी ख0न0 1047 रक्बा 2–10–00 बीघा मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यथानुसार राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी स0 2 लादू के स्थान पर वादीगण के नाम का अमल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित आराजी मे चले आ रहे कब्जे काश्त मे दखलंदाजी आदि से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट कैम्प पर सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:22:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: